सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा

की

शून्यकाल समिति

का

108वाँ प्रतिवेदन

स्वास्थ्य विभाग

(बिहार विधान सभा की शून्यकाल समिति द्वारा प्रकाशित)

(दिनांक 22/07/2026 को सदन में उपस्थापित)।

विषय–सूची

			पृष्ठ
1. शून्यकाल समिति के सदस्यों तथा शून्यकाल समिति शाखा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची।	..	..	क
2. प्राक्कथन	..	..	ख
3. प्रतिवेदन	..	..	1–4
4. परिशिष्ट	..	..	5–21

बिहार विधान सभा की शून्यकाल समिति के सदस्यों की सूची

सभापति

1. श्री नीतीश मिश्रा	स०वि०स०

सदस्यगण

1. श्री निरंजन राय	स०वि०स०
2. श्री लखेन्द्र कुमार रौशन	स०वि०स०
3. श्री राजेश कुमार सिंह	स०वि०स०
4. श्री सत्तानंद सम्बुद्ध उर्फ ललन	स०वि०स०
5. श्री कृष्णामुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया	स०वि०स०
6. श्री अरूण सिंह	स०वि०स०
7. श्री आलोक रंजन	स०वि०स०
8. श्री देवेश कांत सिंह	स०वि०स०
9. श्री केदार प्रसाद गुप्ता	स०वि०स०
10. श्री नीरज कुमार सिंह	स०वि०स०

सभा सचिवालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

1. श्री राज कुमार	सचिव
2. श्री असीम कुमार	निदेशक
3. श्रीमती अनुपमा प्रसाद	उप-सचिव
4. श्री सुधांशु राय	प्रशाखा पदाधिकारी
5. श्रीमती सुषमा	सहायक
6. श्रीमती उषा कुमारी	सहायक
7. श्री संजय भारती	सहायक

प्राक्कथन

मैं, सभापति, शून्यकाल समिति बिहार विधान सभा, पटना की हैसियत से सप्तदश बिहार विधान सभा में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित द्वितीय सत्र से नवम् सत्र के विभिन्न तिथियों में माननीय सदस्य श्री रामबली सिंह यादव, स० वि० स०, श्री विद्या सागर केशरी, स० वि० स०, श्री मनोज कुमार यादव, स० वि० स०, श्री कुन्दन कुमार, स० वि० स०, श्री अमरजीत कुशवाहा, स० वि० स०, श्री सत्यदेव राम, स० वि० स०, श्री मुकेश कुमार रौशन, स० वि० स०, श्री विजय कुमार, स० वि० स०, श्री ललन कुमार, स० वि० स०, श्री अजीत कुमार सिंह, स० वि० स०, श्री कुमार शैलेन्द्र, स० वि० स०, श्री सुधाकर सिंह, स० वि० स०, मो० इजहार असफी, स० वि० स०, श्री समीर कुमार महासेठ, स० वि० स०, श्रीमती विभा देवी, स० वि० स० एवं श्री आलोक कुमार मेहता, स० वि० स० द्वारा सदन में लाये गये शून्यकाल सूचनाओं पर शून्यकाल समिति का 108वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

स्वास्थ्य विभाग से संबंधित उपर्युक्त माननीय सदस्यों से प्राप्त शून्यकाल सूचनाओं के निष्पादन में विभागीय पदाधिकारियों ने अपना सक्रिय सहयोग प्रदान किया है।

अंत में प्रतिवेदन तैयार करने में समिति के सभी माननीय सदस्यों तथा सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिन्होंने व्यक्तिगत रूचि लेकर यह कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न किया है, को भी मैं धन्यवाद देता हूँ ।

नीतीश मिश्रा,
सभापति,
शून्यकाल समिति,
बिहार विधान सभा, पटना।

प्रतिवेदन

स्वास्थ्य विभाग से संबंधित प्रतिवेदन

सप्तदश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र से नवम् सत्र तक में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये शून्यकाल सूचनाओं की संख्या–207 है। जिसमें से कुल–26 शून्यकाल सूचनाओं का निष्पादनोपरान्त प्रतिवेदन तैयार किया जा चुका है। शेष बचे शून्यकाल सूचनाओं में से कुल–17 शून्यकाल सूचनाओं के कार्यान्वयन प्रतिवेदन को दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 की विभागीय बैठक में समीक्षोपरान्त कार्यान्वित माना गया है। जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:–

क्र0सं0	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजे गये पत्रांक/दिनांक।	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक / दिनांक।
1	श्री रामबली सिंह यादव	जहानाबाद जिलान्तर्गत शाहो बिगहाँ बाजार में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग के संबंध में।	28.07.2021	25/21–2297 06.08.2021	स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक–469 (10), दिनांक 26.10.2021 के द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–01
2	श्री विद्या सागर केशरी	अररिया जिलान्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 2019 में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु दो वर्ष पूर्व जमीन उपलब्ध करायी गई थी, बावजूद कोरोना महामारी में भी आजतक कार्य प्रारंभ नहीं होने से लोगों में भारी नाराजगी है। मेडिकल कॉलेज का शीघ्रताशीघ्र निर्माण की माँग के संबध में।	28.07.2021	25/21–2298 06.08.2021	स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक–623 (01), दिनांक 07.10.2021 के द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–02
3	श्री मनोज कुमार यादव	पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मोतिहारी में एक नये मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल की स्थापना करने की मांग के संबध में।	28.07.2021	25/21–2299 06.08.2021	स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक–621 (01), दिनांक 07.10.2021 के द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–03
4	श्री कुंदन कुमार	बेगूसराय में आई0ओ0सी0एल0, बरौनी द्वारा 50 बेड का पेडियाट्रिक वार्ड स्थापित करने हेतु जिलाधिकारी, बेगूसराय द्वारा स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित पत्रांक 1509, दिनांक 28 जून, 2021 के संदर्भ में अबतक एन0ओ0सी0 अप्राप्त है। पेडियाट्रिक वार्ड की स्थापना हेतु स्थापना विभाग से एन0ओ0 सी0 की स्वीकृति देने की मांग के संबंध में।	29.07.2021	26/21–2486 16.08.2021	स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक–1024 (10), दिनांक 27.09.2023 के द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–04

क्र0सं0	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक।	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक ।
5	श्री अमरजीत कुशवाहा	सिवान जिलान्तर्गत कोरोना काल में ऐसे सैकड़ो मरीजों की मौत हुई है जिसकी जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव है इसके बावजूद उनका नाम अस्पताल के रजिस्टर में दर्ज नहीं है, ऐसे मृत व्यक्तियों की जाँचकर उनके परिजनों को मुआवजा देने की मांग के संबंध में।	29.07.2021	26/21–2525 18.08.2021	स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक–706 (12), दिनांक 18.05.2022 के द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–05
6	श्री सत्यदेव राम	आशा कार्यकर्त्ताओं ने कोविड काल में अकल्पनीय कार्य किये है। वे बिहार की स्वास्थ्य की रीढ़ है। लेकिन उन्हें सरकार न तो मानदेय देती है और न ही उन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा हासिल है। आशा कार्यकर्त्ताओं को कर्मचारी की दर्जा एवं 18 हजार रूपये मानदेय देने की मांग के के संबंध में ।	29.07.2021	26/21–2483 16.08.2021	स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक–875 (12), दिनांक 30.09.2021 के द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–06
7	श्री मुकेश कुमार रौशन	बिहार के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दंत चिकित्सक की नियुक्ति जनहित में शीघ्र कराए जाने के संबंध में ।	29.07.2021	26/21–2484 16.08.2021	स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक–796 (02), दिनांक 16.05.2023 के द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–07
8	श्री विजय कुमार	शेखपुरा जिला में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना जनहित में शीघ्र किए जाने के संबंध में ।	29.07.2021	26/21–2485 16.08.2021	स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक–622 (01), दिनांक 07.10.2021 के द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–08
9	श्री ललन कुमार	भागलपुर जिला के 29 पंचायतो वाला सबसे बड़ा प्रखण्ड, पीरपैंती में स्वास्थ्य सुविधा का घोर अभाव है। जिला अस्पताल से अधिकतम दूरी एवं जनसंख्या घनत्व को देखते हुए पीरपैंती में 200 बेड का अस्पताल निर्माण कराने की मांग के संबंध में।	30.07.2021	27/21–2390 12.08.2021	स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक–445 (10), दिनांक 01.10.2021 के द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–09

क्र0सं0	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक।	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक /दिनांक ।
10	श्री अजीत कुमार सिंह	राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के संयुक्त तत्वाधान में जन स्वास्थ्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षित ग्रामीण/ दूरस्थ क्षेत्रों के स्वास्थ्य कर्मियों को बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग में नियुक्ति के संबंध में।	30.07.2021	27/21-2353 11.08.2021	स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-1020 (04), दिनांक 30.11.2021 के द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-10
11	श्री कुमार शैलेन्द्र	भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड के हरिओ पंचायत में स्वास्थ्य उप-केन्द्र नहीं रहने से खासकर गर्भवती महिला एवं बुजुर्ग लोगों को काफी कठिनाई होती है। हरिओ में स्वास्थ्य उप-केन्द्र बनवाने की मांग के संबंध में ।	30.07.2021	27/21-2351 11.08.2021	स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-399 (10), दिनांक 22.09.2021 के द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-11
12	श्री सुधाकर सिंह	कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखंड अंतर्गत देवहलिया एवं दलानी में अस्पताल ना होने से ग्रामीणों को काफी कठिनाई होती है, जबकि इस प्रखंड की आबादी डेढ़ लाख के करीब है। उक्त स्थानों पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराने के संबंध में ।	30.07.2021	27/21-2352 11.08.2021	स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-431 (10), दिनांक 30.09.2021 के द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-12
13	मुहम्मद इजहार असफी	किशनगंज जिला में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए मैंने सरकार को पत्रांक 26/2021, दिनांक 08.05.2021 को एक पत्र लिखा था परन्तु अभी तक ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा है। उक्त स्थान पर अविलंब ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मांग के संबंध में ।	30.07.2021	27/21-2354 11.08.2021	स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-484 (15), दिनांक 17.05.2023 के द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-13
14	श्री सत्यदेव राम	आशा कार्यकर्ताओं ने कोविड काल में अकल्पनीय कार्य किये हैं। वे बिहार की स्वास्थ्य की रीढ़ है। लेकिन उन्हें सरकार न तो मानदेय देती है और न ही उन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा हासिल है। आशा कार्यकर्ताओं को कर्मचारी की दर्जा एवं 18 हजार रूपये मानदेय देने की मांग के संबंध में ।	29.07.2021	26/21-2483 16.08.2021	स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-875 (12), दिनांक 30.09.2021 के द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-14

क्र0सं0	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक।	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक ।
15	श्री समीर कुमार महासेठ	मधुबनी जिलान्तर्गत मधुबनी शहर में अवस्थित सदर अस्पताल, मधुबनी अंग्रेजों के जमाने का है। आजतक उसका आधुनिकीकरण नहीं किया गया है। 200 बेड का आधुनिक अस्पताल बनाते हुए सदर अस्पताल, मधुबनी को जिला अस्पताल घोषित करने की मांग के संबंध में ।	30.07.2021	27 / 21-2377 12.08.2021	स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-473 (10), दिनांक 26.10.2021 के द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-15
16	श्रीमती विभा देवी	नवादा जिला के सदर अस्पताल में सोलर हाईलैजन स्ट्रीट लाईट नहीं रहने के कारण लोगों को बेहद तकलीफ होती है। जनहित में अतिशीघ्र लाईट लगाने की व्यवस्था के संबंध में ।	01.12.2021	31 / 21-3529 31.12.2021	स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-1139 (18), दिनांक 27.07.2022 के द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-16
17	श्री आलोक कुमार मेहता	सभी सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल में C.C.I.M(N.C.I.S.M.) के मानकों के अनुसार M.D. योग्यताधारी चिकित्सकों को उपाधीक्षक के पद पर पदस्थापित नहीं किया जाता है। मैं माँग करता हूँ कि C.C.I.M(N.C.I.S.M.) के मानक के अनुकुल M.D. योग्यताधारी को ही उक्त कॉलेज अस्पताल में उपाधीक्षक का पदस्थापन सुनिश्चित करने के संबंध में ।	01.12.2021	31 / 21-3485 29.12.2021	स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-1051 (आ0चि0), दिनांक 26.10.2023 के द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-17

उपर्युक्त शून्यकाल सूचनाओं के आलोक में प्राप्त विभागीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन पर शून्यकाल समिति की स्वास्थ्य विभाग के साथ दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 की विभागीय बैठक में समीक्षोपरान्त सभी कार्यान्वयन प्रतिवेदन को संतोषप्रद पाया है। जिसके आलोक में इसे निष्पादित मान लिया गया है ।

निष्कर्ष

क्रमांक 01 से 17 तक पर उल्लिखित माननीय सदस्यों द्वारा सदन में पूछे गये शून्यकाल सूचनाओं को विभागीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन के आलोक में निष्पादित किया जाता है।

नीतीश मिश्रा,
सभापति,
शून्यकाल समिति,
बिहार विधान सभा, पटना ।

परिशिष्ट–1

श्री रामबली सिंह यादव, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन ।

श्री रामबली सिंह यादव—जहानाबाद जिला अन्तर्गत शाही बिगहा बाजार में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की माँग सरकार से करता हूँ।

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि शाही बिगहा बाजार में स्वास्थ्य उप–केन्द्र संचालित है। इसके नजदीक कोर्रा एवं लखावर में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है जिसकी दूरी शाही बिगहा बाजार से क्रमशः 4 एवं 5 किलो मीटर है। जिसके द्वारा आमजनों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है।

परिशिष्ट–2

श्री विद्या सागर केशरी, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में प्रस्तुत एवं दिनांक 28 जुलाई, 2021 को सदन में राज्य सरकार द्वारा ग्रहण किये गए शून्यकाल सूचना सं0–25/2021 के संबंध में ।

शून्यकाल

अररिया जिलान्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 2019 में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु दो वर्ष पूर्व जमीन उपलब्ध करायी गई थी, बावजूद कोरोना महामारी में भी आजतक कार्य प्रारंभ नहीं होने से लोगों में भारी नाराजगी है। मेडिकल कॉलेज का शीघ्रताशीघ्र निर्माण की मांग सदन से करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष महोदय,

वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिला के निकटवर्ती जिलों यथा–पूर्णियाँ एवं मधेपुरा में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल संचालित है तथा किशनगंज में निजी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल संचालित है ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सम्प्रति अररिया जिला में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट–3

श्री मनोज कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा बिहार विधान सभा में प्रस्तुत एवं दिनांक 28 जुलाई, 2021 को सदन में राज्य सरकार द्वारा ग्रहण किये गए शून्यकाल सूचना सं0 25/2021 के संबंध में ।

शून्यकाल

पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मोतिहारी में एक नये मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल की स्थापना करने की माँग मैं सदन से करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष महोदय,

वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मोतिहारी के निकटवर्ती जिलों यथा–प0 चम्पारण (बेतिया) एवं मुजफ्फरपुर में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल संचालित है तथा सारण, सीतामढ़ी एवं समस्तीपुर में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल निर्माणाधीन है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सम्प्रति पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मोतिहारी में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के निर्माण की कोई योजना सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट–4

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के अन्तर्गत श्री कुंदन कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत एवं दिनांक 29 जुलाई, 2021 को सदन में राज्य सरकार द्वारा ग्रहण किए गये शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन ।

श्री कुंदन कुमार—बेगूसराय में आई0ओ0सी0एल0, बरौनी द्वारा 50 बेड का पेडियाट्रिक वार्ड स्थापित करने हेतु जिलाधिकारी, बेगूसराय द्वारा स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित पत्रांक 1509, दिनांक 28 जून, 2021 के संदर्भ में अबतक एन0ओ0सी0 अप्राप्त है।

अतः पेडियाट्रिक वार्ड की स्थापना हेतु स्वास्थ्य विभाग से एन0ओ0सी0 की स्वीकृति देने की मांग करता हूँ ।

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि आई0ओ0सी0एल0, बरौनी द्वारा स्थापित पेडियाट्रिक वार्ड का निर्माण हो चुका है और यह क्रियाशील है।

परिशिष्ट–5

श्री अमरजीत कुशवाहा, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना पर माननीय मंत्री स्वास्थ्य का वक्तव्य ।

प्रस्तुत शून्यकाल

"सिवान जिलान्तर्गत कोरोना काल में ऐसे सैकड़ों मरीजों की मौत हुई है जिनकी जाँच रिपोर्ट पॉजिटीव है, इसके बावजूद उनका नाम अस्पताल के रजिस्टर में दर्ज नहीं है। ऐसे मृत व्यक्तियों की जाँच कर उनके परिजनों को मुआवजा देने की मांग करता हूँ ।

शून्यकाल पर सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि जिलास्तरीय समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक् कार्रवाई करते हुए कुल 217 संतप्त परिवारों के निकटतम आश्रित को मो0 चार लाख पचास हजार की दर से अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान किया जा चुका है।

परिशिष्ट–6

श्री सत्यदेव राम, माननीय स0 वि0 स0 से प्राप्त शून्यकाल में पूछा जाने वाला विषय ।

प्रस्तुत शून्यकाल

आशा कार्यकर्त्ताओं ने कोविड काल में अकल्पनीय कार्य किए हैं। वे बिहार की स्वास्थ्य की रीढ़ हैं। लेकिन उन्हें सरकार न तो मानदेय देती है और न ही उन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा हासिल है। आशा कार्यकर्त्ताओं को कर्मचारी का दर्जा एवं 18 हजार रूपये मानदेय देने की माँग करता हूँ ।

शून्यकाल पर सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार के अन्तर्गत आशा एक अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जो समुदाय स्तर पर स्वयंसेविका की भूमिका निभाती है।

आशा का चयन किसी वेतनमान/मानदेय पर नहीं किया जाता है। आशा को उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निर्धारित प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

परिशिष्ट–7

श्री मुकेश कुमार रौशन, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल की सूचना।

बिहार के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दन्त चिकित्सक की नियुक्ति जनहित में शीर्घ कराई जाय ।

उत्तर

राज्य में 290 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दन्त चिकित्सक का पद सृजित है, जिसमें 267 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दन्त चिकित्सक पदस्थापित हैं। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दन्त चिकित्सक का पद सृजित नहीं है।

IPHS मानक के अनुरूप दन्त चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अतिरिक्त पदों के सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट–8

श्री विजय कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा बिहार विधान सभा में प्रस्तुत एवं दिनांक 29 जुलाई, 2021 को सदन में राज्य सरकार द्वारा ग्रहण किये गए शून्यकाल सूचना सं0 26/2021 के संबंध में ।

शून्यकाल

शेखपुरा जिला में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना जनहित में शीघ्र की जाय ।

सरकार का वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष महोदय,

वस्तुस्थिति यह है कि शेखपुरा जिला के निकटवर्ती जिला यथा–नालन्दा में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल संचालित है एवं जमुई में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल निर्माण की योजना स्वीकृत है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सम्प्रति शेखपुरा जिला में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट–9

श्री ललन कुमार, स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन ।

प्रश्न—भागलपुर जिला के 29 पंचायतों वाला सबसे बड़ा प्रखंड पीरपैंती में स्वास्थ्य सुविधा का घोर अभाव है। जिला अस्पताल से अधिकतम दूरी एवं जनसंख्या घनत्व को देखते हुए मैं सरकार से पीरपैंती में 200 बेड का अस्पताल निर्माण करवाने की मांग करता हूँ ।

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीरपैंती को 30 बेड का रेफरल अस्पताल में उत्क्रमित कर संचालित किया जा रहा है। प्रखंड मुख्यालय स्तर पर 200 बेड का अस्पताल बनाने का प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट–10

माननीय श्री अजित कुमार सिंह, स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल सूचना पर माननीय मंत्री स्वास्थ्य का वक्तव्य ।

प्रस्तुत शून्यकाल

माननीय अध्यक्ष महोदय,

"राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के संयुक्त तत्वाधान में 'जन स्वास्थ्य' व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षित ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों के स्वास्थ्य कर्मियों को 'बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग' में नियुक्ति की मांग करता हूँ ।"

शून्यकाल सूचना पर सरकार का वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष महोदय

प्रस्तुत शून्यकाल सूचना के संबंध में सदन को वास्तविक तथ्यों से अवगत कराना चाहता हूँ जो निम्न है:–

"स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं0–326(4), दिनांक 16 मार्च, 2020 के कंडिका 6(क) में बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता (तकनीकी पद) के पद पर नियुक्ति हेतु इन्टरमीडिएट विज्ञान संकाय के साथ बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता कोर्स में डिप्लोमा/बैचलर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

NIOS द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण कोर्स 'जन स्वास्थ्य' व्यावसायिक पाठ्यक्रम, बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता कोर्स में डिप्लोमा/बैचलर कोर्स के समतुल्य/समक्ष नहीं है।"

परिशिष्ट–11

श्री कुमार शैलेन्द्र, स०वि०स० द्वारा ग्रहण किए गये शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन ।

प्रश्न—भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड के हरिओ पंचायत में स्वास्थ्य उप–केन्द्र नहीं रहने से खासकर गर्भवती महिला एवं बुर्जुग लोगों को काफी कठिनाई होती है।

अतः हरिओ में स्वास्थ्य उप–केन्द्र बनवाने की सरकार से मांग करता हूँ ।

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड मे दो स्वास्थ्य उप–केन्द्र स्वीकृत है एवं संचालित है। स्वास्थ्य उप–केन्द्र, हरिओ में श्रीमती संगीता कुमारी, ए०एन०एम० कार्यरत है और स्वास्थ्य उप–केन्द्र, कहारपुर में श्रीमती राज सिन्हा, ए०एन०एम० कार्यरत है जिसके द्वारा नियमित टीकाकरण तथा प्रसव पूर्व एवं प्रसव उपरान्त सेवा उपलब्ध कराया जा रहा है।

परिशिष्ट–12

श्री सुधाकर सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न—कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखंड अन्तर्गत देवहलिया एवं कलानी में अस्पताल ना होने से ग्रामीणों को काफी कठिनाई होती है, जबकि इस प्रखंड की आबादी डेढ़ लाख के करीब है। सरकार उक्त स्थानों पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण करावें ।

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखंड अन्तर्गत देवहलिया से 500 मीटर की दूरी पर नरहन एवं 1 किलो मीटर की दूरी पर मसाढ़ी में स्वास्थ्य उप–केन्द्र संचालित है तथा कलानी से 2 किलो मीटर की दूरी पर ठकुरा एवं उपरी स्वास्थ्य उप–केन्द्र संचालित है, जिसके द्वारा आमजनों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

परिशिष्ट–13

मुहम्मद इजहार असफी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना एवं सरकार का वक्तव्य ।

"किशनगंज जिला के ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए मैंने सरकार को पत्रांक–26/2021, दिनांक 8 मई, 2021 को एक पत्र लिखा था परन्तु अभीतक ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा है।"

उक्त स्थान पर अविलंब ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मांग के संबंध में ।

सरकार का वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष महोदय,

इस संबंध में कहना है कि सदर अस्पताल, किशनगंज परिसर में PM Cares Fund के तहत PSA Generation Plant (Oxygen Plant) दिनांक 30 अगस्त, 2021 को सफलतापूर्वक स्थापित (Install एवं Commissioned) किया गया है। साथ ही दिसम्बर, 2021 से चालू अवस्था में कार्यरत है।

परिशिष्ट–14

श्री सत्यदेव राम, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल में पूछा जाने वाला विषय।

प्रस्तुत शून्यकाल

आशा कार्यकर्ताओं ने कोविड काल में अकल्पनीय कार्य किए है। वे बिहार की स्वास्थ्य की रीढ़ हैं। लेकिन उन्हें सरकार न तो मानदेय देती है और न ही उन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा हासिल है। आशा कार्यकर्ताओं को कर्मचारी का दर्जा एवं 18 हजार रूपये मानदेय देने की माँग करता हूँ ।

शून्यकाल पर सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार के अन्तर्गत आशा एक अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जो समुदाय स्तर पर स्वयंसेविका की भूमिका निभाती है।

आशा का चयन किसी वेतनमान / मानदेय पर नहीं किया जाता है। आशा को उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निर्धारित प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

परिशिष्ट–15

श्री समीर कुमार महासेठ, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन ।

प्रश्न—मधुबनी जिलान्तर्गत मधुबनी शहर में अवस्थित सदर अस्पताल, मधुबनी अंग्रेजों के जमाने का है। आजतक उसका आधुनिकीकरण नहीं किया गया है।

अतः 200 बेड का आधुनिक अस्पताल बनाते हुए सदर अस्पताल, मधुबनी को जिला अस्पताल घोषित करने की मांग करता हूँ ।

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–44(10), दिनांक 15 जून, 2009 के द्वारा सदर अस्पताल, मधुबनी को 500 शैय्याओं के अस्पताल में उत्क्रमित कर आई0पी0एच0एस0 मानक के अनुरूप पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत जिला अस्पताल, मधुबनी को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित करने हेतु BMSICL, पटना के पत्रांक 4242, दिनांक 6 सितम्बर, 2021 द्वारा उक्त भवन निर्माण कार्य का कार्यादेश श्री कृष्णकान्त ठाकुर, ग्राम+पो0–सनहपुर, थाना–सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा, पटना को निर्गत किया गया है।

परिशिष्ट—16

श्रीमती विभा देवी, माननीया स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में पूछे जाने वाले शून्यकाल की सूचना का उत्तर के संबंध में ।

श्रीमती विभा देवी—क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के सदर अस्पताल में सोलर हाईलोजन स्ट्रीट लाइट नहीं रहने के कारण लोगों को बेहद तकलीफ होती है। जनहित में अतिशीघ्र लाइट लगाने की व्यवस्था की जाय ।

श्री मंगल पाण्डेय—अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि सदर अस्पताल, नवादा में मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्रेडा के माध्यम से सोलर लाइट का अधिष्ठापन दिनांक 4 जनवरी, 2019 को किया गया है। जिसका Maintenance अवधि समाप्त हो गया है। परिसर में सभी संस्थानों में हाई पावर लाइट लगाया गया है जो परिचालित है।

सदर अस्पताल में सोलर हाईलोजन स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

परिशिष्ट–17

श्री आलोक कुमार मेहता, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल सूचना।

सभी सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल में C.C.I.M (N.C.I.S.M) के मानक के अनुसार M.D योग्यताधारी चिकित्सकों को उपाधीक्षक के पद पर पदस्थापित नहीं किया जाता है।

मैं मांग करता हूँ कि C.C.I.M (N.C.I.S.M) के मानक के अनुकूल M.D योग्यताधारी को ही उक्त कॉलेज अस्पताल में उपाधीक्षक का पदस्थापन सुनिश्चित हो ।

सरकार का वक्तव्य

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (CCIM) विनियम, 2016 के अनुसूची– IV के क्रम संख्या–2 पर उप–चिकित्सा अधीक्षक के लिए निर्धारित पात्रता एवं अर्हता बी0ए0एम0एस0 तथा नैदानिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा दस वर्षों के नैदानिक अनुभव सहित बी0ए0एम0एस0 उपाधि है।

वर्तमान में स्नातकोत्तर योग्यताधारी ही आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में उपाधीक्षक के पद पर पदस्थापित है ।

बि0स0मु0–106–(एल0ए0)–2024–25–डी0टी0पी0–300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2025